उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-1/2610/पांच-8-2014-जी0(109)/2014

लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1543/चि0-3-2013-1581/2013, दिनांक 05-07-2013 द्वारा डा0 देवेन्द्र कुमार, नेत्र विशेषज्ञ, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूं के अधीन तैनात किया गया था। मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी ने दिनांक 23-07-2013 को डा0 कुमार को कार्यमुक्त कर दिया गया, किन्तु उनके द्वारा लगभग 07 माह बाद दिनांक 26-02-2014 को चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूं के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूं द्वारा डा0 कुमार को योगदान न कराकर योगदान के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल को दिनांक 28-02-2014 के पत्र द्वारा सन्दर्भित कर दिया गया। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल द्वारा अपने पत्र दिनांक 01-03-2014 द्वारा प्रकरण महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को अग्रिम कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया गया। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ने अपने पत्र दिनांक 27-05-2014 द्वारा डा0 कुमार को योगदान कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्णय लेते हुए शासकीय आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की आख्या दिनांक 27-05-2014 पर विचारोपरान्त डा0 कुमार को जनपद बदायूं में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 कुमार की दिनांक 24-07-2013 से 25-02-2014 तक की अनधिकृत अवकाश की अवधि को बिना वेतन असाधारण अवकाश के रूप में कम्यूट किया जाता है।

2- अतः डा0 देवेन्द्र कुमार, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूं के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

पी0एन0 सिंह

विशेष सचिव।

क्रमशः

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-1/2610(1)/पांच-8-2014-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-2फ/978/06/1176, दिनांक 27-05-2014 के सन्दर्भ में।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/बरेली मण्डल।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी/बदायूं।

6- कोषाधिकारी, लखीमपर खीरी/बदायूं।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- गार्ड फाइल/ प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in